

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर
बनाम

.....प्रार्थी

मैसर्स श्री मतीन पुत्र शहाबुद्दीन

कायड विश्राम स्थली अजमेर

श्री मतीन पुत्र श्री शहाबुद्दीन

गांव कसोरा, तहसील लहरपुर, जिला सीतापुरा (बिहार)

.....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक 06.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.08.2022 को मोहराम मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स श्री मतीन पुत्र शहाबुद्दीन कायड विश्राम स्थली अजमेर पर पहुँचे दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरुपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाइ एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री चेतन शर्मा कार्मिक अमरदीप गैस एजेन्सी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार पाया गया।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	-	-	1	2.5	1-5	छोटा अप्रमाणित

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा एक घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किए जाने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

डॉ. भारती दीक्षित
जिला कलक्टर, अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 02.08.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया गया। उपरोक्त कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का नियमानुसार



आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर